

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

गीरापुर, पटना-800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhsbih.gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 06/05/2024

अ.सं. संबंधी 6032(पाठ-1) / 2023-478, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ सबद्धता रामिति की वैठक में दिनांक-02.05.2024 को गैर-सरकारी पारा मेडिकल महाविद्यालयों/ संस्थानों द्वारा सबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक विचारापरात लिए गए विषय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं 2 में अकित गैर-सरकारी पारा मेडिकल महाविद्यालयों को कॉलम सं 4 में अकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अकित नामाकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र-2023-24 हेतु औपचारिक सबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।


Sl. No.	Name of Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Darbhanga Institute of Paramedical Sciences	Darbhanga	Certificate in Medical Dresser	30
			Diploma in Operation Theatre Assistant	30
			Diploma in Medical Laboratory Technician	30
			Diploma in X-Ray Technician	30
2	Dr. Raj Shekhar Shrivastava Para Medical College	Madhubani	Certificate in Medical Dresser	60
			Diploma in Medical Laboratory Technician	60
			Diploma in Ophthalmic Assistant	60
			Diploma in Operation Theatre Assistant	60

नियम एवं शर्तें:

- औपचारिक सबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत संशत प्रदान की जा रही है।
- औपचारिक सबद्धता राखम प्राप्तिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्तों के अधीन होगी।
- यदि किसी महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा सत्र-2022-23 का सबद्धता पत्र समर्पित नहीं किया गया है, तो दैसे महाविद्यालय/ संस्थान नामाकन लेने के पूर्व सत्र-2022-23 का सबद्धता पत्र समर्पित करें।
- यदि किसी महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा सत्र-2023-24 हेतु संबधित संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से नामाकन की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो दैसे महाविद्यालय/ संस्थान सत्र-2023-24 में बिना स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की अनुमति प्राप्त किए नामाकन नहीं लेंगे। नामाकन की अनुमति प्राप्त होने पर अधिलब इसकी एक प्रति यथार्थीघ विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।
- किसी भी महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से Approved सीटों से अधिक नामाकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा सबद्धता दी गई सीटों की सख्ती में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से द्वारा स्वीकृत सीटों की सख्ती ही मान्य होगी।
- यदि किसी महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अधिलब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दे।
- सूची में अकित सभी महाविद्यालयों/ संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा भौग किए जाने पर जमा करेंगे।

- 8 राज्यालय महाविद्यालय / संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र-छात्राओं के विश्वविद्यालय में पूर्व घाँटित कागजात / शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
- 9 विश्वविद्यालय / स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम अध्यारम्भ संख्या एवं अन्य मापदण्डों की जीवंत हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय / संस्थान का किसी भी कार्य दिक्षा को औबक निरीक्षण किया जा सकता है।
- 10 महाविद्यालय / संस्थान बिहार सरकार / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय / PCI, New Delhi के नियमों / विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
- 11 बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम / परिनियम / विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय / संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
- 12 महाविद्यालयों / संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार का गलत / भावक सूचना देकर अथवा लघ्य / सूचना छिपाकर औपचारिक सबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

 १३५८
६/५/२०२४


(विमलेश कुमार ज्ञा)

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापाक : संबं०-६०३२(पार्ट-१) / २०२३- ४७८ / पटना, दिनांक ०६/०५/२०२४


प्रतिलिपि-प्राचार्य / निदेशक / सचिव, सचिवित पारामेडिकल महाविद्यालय / संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 १३३८
६/५/२०२४

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापाक : संबं०-६०३२(पार्ट-१) / २०२३- ४७८ / पटना, दिनांक ०६/०५/२०२४


प्रतिलिपि-डीन(अकादमिक) / डीन(आयुष) / डीन(परीक्षा) / डीन(फार्मेसी) / परीक्षा नियन्त्रक / वित्त पदाधिकारी / कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

 १३३८
६/५/२०२४

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापाक : संबं०-६०३२(पार्ट-१) / २०२३- ४७८ / पटना, दिनांक ०६/०५/२०२४

प्रतिलिपि- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार-सह-कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सशुक्ता सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / परीक्षा नियन्त्रक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना / सभी प्रकारक, जिला निकाय एवं परामर्श केन्द्र, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

 १३३८
६/५/२०२४

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना